दिनांक 26.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 288/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 26.05.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ इकाई** द्वारा सतेन्द्र सिंह तोमर निवासी गलेक्सी गंगा, गंगानगर जनपद मेरठ से बिल का भुगतान कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री योगेन्द्र कुमार के नेतृत्व में कार्यालय राजकीय निर्माण निगम उ0प्र0 मेरठ के कार्यालय गेट के पास से **1-अवर अभियन्ता योगेन्द्र सिंह (उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0)** पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी मो0 विगहरिया भूडा थाना राजरौला जनपद अमरोहा **2-नीरज पाल (प्राइवेट व्यक्ति)** पुत्र जगराम पाल निवासी ग्राम छोटा हसनपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ को **01 लाख रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 26.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 289/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–जनपद आजमगढ़ से गैगस्टर एक्ट में वांछित व रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0 लड्डन उर्फ सकलैन जनपद जौनपुर से गिरफ्तार।

दिनांक 26–05–2026 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना पवई जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 72/2026 धारा 2(ख), 17, 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 50 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0 लड्डन उर्फ सकलैन को जनपद जौनपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

मो0 लड्डन उर्फ सकलैन पुत्र मो0 मुनाऊ उर्फ सोहराब नि0 अम्बारी नई बस्ती थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ स्थाई पता गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

शाहगंज रेलवे स्टेशन के पास थाना क्षेत्र शाहगंज जनपद जौनपुर। दिनांक 26–05–2026

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 वाराणसी के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान 50 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी मो0 लड्डन उर्फ सकलैन उपरोक्त के जनपद जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र में रहने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर उ0नि0 श्री अंगद सिंह यादव व उ0नि0 श्री विनय मौर्या एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में टीम को जनपद जौनपुर भेजा गया। जहॉ पर धरातलीय अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मो0 लड्डन उर्फ सकलैन शाहगंज रेलवे स्टेशन के पास

मौजूद है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर मो0 लड्डन उर्फ सकलैन उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभिसूचना संकलन एवं गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मो0 लड्डन उर्फ सकलैन अपने साथी आमिर पुत्र इस्तेयाक व अन्य के साथ मिलकर पशु तस्करी का कार्य करता है। प्रतिबन्धित लावारिस तथा चोरी किये हुए पशुओं का मांस व उनके खाल को पिकप आदि में लादकर ले जाकर बेंच देता है। प्रतिबन्धित गोवंश को काटने–चोरी करने का इनका एक संगठित आपराधिक गिरोह है। इस सम्बन्ध में पशु तस्करी का अभियोग जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों में पंजीकृत है। पशु तस्करी में ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्यवाही हुई थी।

<u>मो0 लड्डन उर्फ सकलैन का अपराधिक इतिहास–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	127/25	3/5/8 गो0नि0अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट	पवई	आजमगढ़
02	14/23	147/148/149/307 भादवि व 3/5/8 गो0नि0अधि0	फूलपुर	आजमगढ़
03	16/23	4/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
04	164/23	3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट	पवई	आजमगढ़

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त मो0 लड्डन उर्फ सकलैन को मुकदमा उपरोक्त में थाना पवई जनपद आजमगढ़ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **21 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **06 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे**
- **01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 25.05.2026 के थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर संधावली कट के पास बने खण्डहर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो

बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शमीम उर्फ सोनू 2–विशाल घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–अदनान 4–मुर्सलीन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 21 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 06 जीवित, 04 खोखा कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे, 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शमीम उर्फ सोनू के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग, अभियुक्त विशाल के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शमीम उर्फ सोनू निवासी सोन्टा थाना बाबरी जनपद शामली हालपता–सुभाषनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

2–विशाल निवासी खुब्बापुर थाना मन्सूपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

3–अदनान निवासी हुसैनपुर बोपाडा थाना मन्सूपुर मुजफ्फरनगर।

4–मुर्सलीन निवासी सुभाषनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–21 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर ।

2–06 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

4–01 दो पहिया वाहन आदि।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना एका(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना एका पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1– सुशील

कुमार 2–योगेश उर्फ बीटू को धारा 302 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 26–26 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 3–रवि को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 4–अंकित व 5–अभियुक्ता को धारा 302/120बी भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना अरांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना अरांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–कृष्ण मुरारी उर्फ दर्शन सिंह 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना दक्षिण (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना दक्षिण पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त योगेन्द्र को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सोनभद्र/थाना ओबरा(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 31 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना ओबरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 5जे(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बब्लू कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 31 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना डिबाई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पिन्टू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रमोद कुमार को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना किशनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना किशनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजेश 2–बुद्धराज को 10–10 वर्ष के कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————